न्यायालय सहायक कलक्टर झाडोल जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री अक्षय गोदारा I.A.S.

प्रकरण संख्या –12/2016 प्रार्थना पत्र

अनवान

श्री गोपीलाल पिता कनीराम गायरी निवासी बीडा तहसील झाडोल (फ.) जिला उदयपुर।

–प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती धनीबाई पत्नी मन्नालाल गायरी निवासी बीडा तहसील झाडोल (फ.) जिला उदयपुर।
2. श्रीमती लालीबाई पिता चतरा गायरी निवासी बीडा तहसील झाडोल (फ.) जिला उदयपुर।
3. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार झाडोल (फ.) जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक– 24.01.2024

आदेश

1. यह कि मौजा बीडा पटवार मण्डल झाडोल तहसील झाडोल (फ.), जिला उदयपुर में प्रार्थी एवं विपक्षीगण के सह–खातेदारी एवं संयुक्त आधिपत्य की कृषि भूमि आराजीयात रकबा निम्नानुसार है:–

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
1	233	0.09	0.18
2	234	0.13	0.25
3	236	0.02	0.12
कुल किता	3	0.24	0.55

2. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित मौरूसी कृषि भूमि प्रार्थी एवं विपक्षीगण के सह–खातेदारी एवं संयुक्त आधिपत्य की होकर वादोक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का 6/24 वां हिस्सा निहित है जो राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी मे प्रार्थी के नाम पर दर्ज है।

3. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी व विपक्षीगण के राजस्व रेकर्ड पर सह–खातेदारी में दर्ज होने से प्रार्थी व विपक्षीगण शामिल शरीक हो कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा हिस्से माफिस उपज लेते चले आ रहे है।

4. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी एवं विपक्षीगण के संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य होने से कृषि भूमि का सुधार कार्य नही हो पा रहा है तथा प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य बटवारे को लेकर आये दिन आपसी विवाद होता रहता है जो प्रार्थी द्वारा वाद वर्णित कृषि भूमि का विधिवत विभाजन हेतु विपक्षीगण को कहा गया तो

सहायक कलक्टर
झाडोल (फ.), जिला उदयपुर

विपक्षीगण द्वारा इनकार कर दिया, इसलिए प्रार्थी वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि मे प्रार्थी का 6/24 वे हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विधिवत विभाजन करवा कर राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी अपने नाम पर पृथक से दर्ज करवा कर, अलग से अपने हिस्सेनुसार लगान कायम करवाने का अधिकारी है।

5. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि पर विपक्षी संख्या 1 द्वारा जबरन प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी की जाती है एवं विपक्षी संख्या 1 वादोक्त कृषि भूमि का बिना विधिक विभाजन हुए विक्रय करने पर आमादा है जिसका कि विपक्षी संख्या 1 का कोई विधिक अधिकार नही है, विपक्षी संख्या 1 द्वारा वादोक्त कृषि भूमि का बिना विधिक विभाजन के विक्रय नही करने हेतु कहा तो विपक्षी संख्या 1 उग्र हो गयी व प्रार्थी को उसके हिस्से की कृषि भूमि से बेदखल करने की धमकी दी। इसलिए प्रार्थी विपक्षी संख्या 1 विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि दौराने विचारण दावा विपक्षी सं. 1, प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नही करे, न ही प्रार्थी को विभाजन में प्राप्त होने वाले अपने हिस्से से विपक्षी बेदखल करे, न ही प्रार्थना पत्र की कलम सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि को बिना विधिक विभाजन के किसी प्रकार से विक्रय करे, न ऐसा स्वंय करे, अपने मित्र, रिश्तेदार, नौकर, एजेन्ट इत्यादि से ऐसा करावे।

6. यह कि प्रार्थी, प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि का सह–खातेदार है इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है एवं प्रार्थी वादोक्त कृषि भूमि में शामिल शरीक हो काबिज है तथा फसल उपज हिस्सेनुसार लेता चला आ रहा है जिससे प्रार्थी, वादोक्त कृषि भूमि में अपने हिस्से पर काबिज हो उपयोग व उपभोग कर रहा है इसलिए सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि विपक्षी सं. 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नही की गयी तो विपक्षी सं. 1 वादोक्त कृषि भूमि के बिना विधिक विभाजन से विक्रय कर देगा जिससे प्रार्थी व विपक्षीगण के मध्य वाद बाहुल्य होगा एवं विपक्षी सं. 1, प्रार्थी को जबरन उसके हिस्से से बेदखल कर देगी जिससे प्रार्थी को ऐसी मानसिंक व आर्थिक क्षति कारीत होगी जिसका ऐवजना रूपये से आंका जाना संभव नही होगा ऐसी स्थिति सारभुत हानि का पक्ष भी प्रार्थी के हक में है।

7. यह कि विपक्षी सं. 3 भूमिधारी होने से आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है।

8. प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर डिकी बहक प्रार्थी विरूद्ध विपक्षी सं. 1 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराई जावे कि दौराने विचारण दावा विपक्षी सं. 1, प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नही करे, न ही प्रार्थी को विभाजन में प्राप्त होने वाले अपने हिस्से से विपक्षी बेदखल करे, न ही प्रार्थना पत्र की कलम सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि को बिना विधिक विभाजन के किसी

सहायक कलक्टर

प्रकार से विक्रय करे, न ऐसा स्वंय करे, अपने मित्र, रिश्तेदार, नौकर, एजेन्ट इत्यादि से करावें।

9. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1, से 3 की प्रोपर तामिल हो चुकी है।

10. विपक्षी सं. 1 की ओर से वकील बी.एल.पटेल द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसकी नकल प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई। विपक्षी सं. 1 द्वारा निम्नानुसार जवाब प्रस्तुत किया गया है:–

1. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम सं. 1 में वाद पत्र पेश होना सही है परन्तु मुझ विपक्षी संख्या 1 के तनहा कब्जे काश्त व मेरे खातेदारी जमीन पर निषेधाज्ञा चाही है। जिसमें प्रार्थी को कभी सफलता नही मिल सकती है। प्रार्थी का दावा खारिज होगा।

2. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम सं. 2 में वर्णित प्रकार से स्वीकार नही है। वाद वर्णित कृषि भूमि मौजा बीडा तहसील झाडोल में स्थित होना सही है। लेकिन प्रार्थी व विपक्षी सं. 1 के संयुक्त आधिपत्य की नही होकर प्रार्थी का उस पर कोई आधिपत्य नही है। विपक्षी सं. 1 के तनहा कब्जे काश्त में है।

3. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम सं. 3 मिथ्या होने से स्वीकार नही है। राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम जरूर दर्ज है। परन्तु प्रार्थी की मौरूसी कृषि भूमि होना व उसके कब्जे काश्त में होना स्वीकार नही है। प्रार्थी ने यह कही उल्लेख नही किया है कि यह भूमि उसकी मौरूसी किस प्रकार से हुई और उसके खाते कैसे दर्ज हुई। न तो कोई विरासतन नामातंरण का जिक किया है और न ही किसी प्रकार का ऐसा कोई दस्तावेज ही पत्रावली पर पेश किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की मौरूसी होना कतई स्वीकार नही है। न ही इस भूमि में प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा होना स्वीकार है। प्रार्थी का वर्णित भूमि में कोई सरोकार नही है।

4. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम सं. 4 वर्णित प्रकार से स्वीकार नही है। राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का कुछ हिस्से पर नाम जरूर दर्ज है। लेकिन इस जमीन मे प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा नही है। और न ही वह विपक्षी सं. 1 का सह काश्तकार है। न ही विपक्षी सं. 1 के शामिल शरीक रह काश्त कर रहा है तथा न ही फसल की उपज ही हिस्से माफिक प्रार्थी ले रहा है। बल्कि एक मात्र कब्जा काश्त विपक्षी सं. 1 का होकर विपक्षी सं. 1 ही मौके पर काबिज हो उपज लेती आ रही है। प्रार्थी का इससे कोई सरोकार नही है। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज हो गया है। प्रार्थी ने अपने वाद अथवा प्रार्थना पत्र में यह कही उल्लेख नही किया है कि उसका नाम इस जमीन में किस हैसियत से दर्ज हुआ। जबकि कलम 2 में उसने भूमि मौरूसी बताई है। परन्तु जमीन का जो हिस्सा उसके नाम रेकर्ड में अंकित हो गया है उसकी मौरूसी होना

सहायक कलक्टर

स्वीकार नही है। केवल मात्र खाते में नाम अंकित हो जाने से वह किसी प्रकार कोई विभाजन कराये जाने अथवा विपक्षी सं. 1 के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी प्रार्थी नही है।

5. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम सं. 5 वर्णित प्रकार से स्वीकार नही है। वाद वर्णित भूमि विपक्षी सं. 1 के तनहा स्वामित्व व आधिपत्य होकर जिस पर विपक्षी सं. 1 ने भारी लागत लगाकर उसे आबाद की है व बराबर विकास करती आ रही है। जब प्रार्थी का इस भूमि में कोई हिस्सा है ही नही तो बंटवाडा कराने का भी अधिकारी नही है। न ही कभी बंटवाडा हेतु विवाद ही हुआ है। प्रार्थी ने गलत आधार लेकर झूंठा दावा व यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो कतई स्वीकार नही है। प्रार्थी किसी प्रकार से विभाजन कराये जाने का अधिकारी नही है। क्योकि प्रार्थी पहले यह साबित करावे कि यदि भूमि उसकी मौरूसी है तो किससे प्राप्त हुई व जिसका नामातंरण कब खोला गया व कितने हिस्से का खोला गया। जैसा कि प्रार्थना पत्र की कलम सं. 3 में उसने मौरूसी होना अंकित किया है। जबकि वादोक्त भूमि में प्रार्थी का कोई हिस्सा है ही नही। रेकर्ड में नाम दर्ज हो जाने मात्र से वह किसी प्रकार से विभाजन कराकर प्रथक से अपना खाता कायम कराये जाने का अधिकारी नही है न ही लगान अलग से कायम कराये जाने का अधिकारी है, लगान विपक्षी सं. 1 द्वारा बराबर अदायगी की जाती रही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

6. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम सं. 6 वर्णित प्रकार से स्वीकार नही है। वादोक्त भूमि में प्रार्थी का कोई हक ही नही है न ही उसका कभी कोई कब्जा काश्त ही रहा है तो उसे जबरन कब्जे काश्त मे दखलनदाजी का प्रश्न ही पैदा नही होता है। जहां तक विपक्षी सं. 1 को अपने स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि के विक्रय के अधिकार का प्रश्न है, इससे उसे प्रार्थी कानूनन रोकने का अधिकारी नही है। वैसे विपक्षी सं. 1, एक काश्तकार होकर उसको उक्त भूमि का विक्रय नही करना है। इससे उसका पूरा परिवार गुजारा कर रहा है फिर भी यदि उसे परिस्थितिवश जायज जरूरीयात के कारण उक्त भूमि बिकाव करनी पडे तो उससे रोकने का अधिकारी प्रार्थी नही है। विपक्षी सं. 1 अपनी जमीन को विक्रय के लिये पूरी तरह से स्वतंत्र है। प्रार्थी का वादोक्त भूमि के किसी भी हिस्से पर कोई कब्जा काश्त ही नही है न कभी था तो उसे बेदखल करने की धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। न ही वह किसी प्रकार निषेधाज्ञा मुझ विपक्षी सं. 1 के विरूद्ध प्राप्त करने का अधिकारी है। जबकि इसके विपरीत विपक्षी सं. 1 खातेदार काश्तकार होकर मौके पर एक मात्र उसका कब्जा काश्त होकर वह काबिज हो काश्त कर रही है। एक कब्जेधारी एवं खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की कानूनन निषेधाज्ञा प्रदान नही की जा सकती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाये जावें।

सहायक कलेक्टर
झाडोल (फ.), जिला उदयपुर

7. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम सं. 7 मिथ्या होने से स्वीकार नही है। धोखे से खाते में किसी प्रकार नाम अंकित करा लेने मात्र से प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्ट्रिया प्रकरण नही हो जाता है। जबकि विपक्षी सं. 1 खातेदार काश्तकार होकर मौके पर एक मात्र उसका कब्जा काश्त है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्रिया प्रकरण विपक्षी सं. 1 के पक्ष में है। प्रार्थी न तो कभी वादोक्त भूमि पर आया न ही कभी काश्त की है न ही कोई उपज कभी ली है। ऐसी स्थिति में उसका सुविधा संतुलन उसके पक्ष में होने का कथन भी स्वीकार नही है। क्योकि वह किस प्रकार उपयोग उपभोग कर रहा है। क्या बोया है कही उल्लेख नही है। जबकि विपक्षी सं. 1 की आज भी मौके पर बोई हुई फसल मौजूद है। जिससे सुविधा संतुलन विपक्षी सं. 1 के पक्ष में है। और जब प्रार्थी का वादोक्त भूमि से कोई सरोकार ही नही है न उसका कब्जा काश्त है तो उसे किसी प्रकार की अशोधनीय क्षति होने का प्रश्न ही नही है। इसके विपरीत यदि विपक्षी की मौके पर बोई फसल खडी है। जिसमें उसने भारी श्रम व लागत लगाई है। पूरा परिवार उस पर आश्रित है। ऐसी स्थिति में यदि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कर दी जाती है तो विपक्षी सं. 1 को भारी अशोधनीय क्षति हो जायेगी। प्रार्थी उसे मौके से बेदखल कर देगा व जिससे विपक्षी सं. 1 को अपने स्वामित्व व आधिपत्य की जमीन से बेदखल कर दिये जाने से उसका परिवार भूखा मर जावेगा। उसके साथ अन्याय हो जावेगा।

8. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम सं. 8 स्वीकार नही है। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र में यदि विपक्षी सं. 3 को पक्षकार बनाया है तो उससे पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. की पालना प्रार्थी को करनी आवश्यक है। न तो धारा 80 सी.पी.सी. का कोई नोटिस देना ही जाहिर आया है न ही इससे माफी का प्रार्थना पत्र ही पत्रावली पर है। ऐसी स्थिति में पक्षकारो को कुसंयोजन होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

9. यह कि वाद पत्र की कलम सं. 9 कानूनी है।

10. यह कि प्रार्थी द्वारा चाही गई इमदाद कतई स्वीकार नही है। केवल मात्र रेकर्ड में कुछ हिस्से अनुसार प्रार्थी का नाम दर्ज जरूर है परन्तु उसका वादोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नही है न ही प्रार्थी ने अपने वाद या प्रार्थना पत्र में अपना हक या हिस्सा कैसे है, किस प्रकार प्राप्त हुआ इसका खुलासा नही किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी किसी प्रकार से विभाजन कराये जाने का अधिकार नही है। तथा इसके विपरीत विपक्षी सं. 1 खातेदार काश्तकार होकर जिसका मौके पर वादोक्त भूमि उसके तनहा कब्जे काश्त में है। ऐसी स्थिति में एक कब्जेधारी व खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा ही प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी कोई भी इमदाद इस प्रार्थना पत्र के जरिये प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी ने वेग व बेबुनियाद आधार पर बिना प्रार्थना पत्र के किसी कारण के यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो खारिज होने योग्य है।

सहायक कलेक्टर
झाड़ोल (फ), जिला उदयपुर

1. दिनांक 14.02.18 को वकील विपक्षी सं. 2 द्वारा हिदायत पैरवी नही होना अंकित किया गया है। विपक्षी सं. 2 को विधिवत आवाज दिलवाई गई किन्तु बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

12 दिनांक 15.02.2021 को हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली व दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीन बिन्दुओं पर विवेचन आवश्यक है:–

1. **प्रथम दृष्टया मामला:–** प्रार्थी द्वारा पेश मौजा बीडा, पटवार हल्का झाडोल, जमाबंदी संवत् 2077–80 के आराजी नं. 233, 234, 236 हाल में प्रार्थी व विपक्षीगण की संयुक्त खातेदारी है जिसमें प्रार्थी का 6/24 वां हिस्सा निहित है। विपक्षी सं. 1 के नाम 3/4 हिस्सा दर्ज है। विपक्षी सं. 2 का कोई हिस्सा निहित नही है। अतः प्रार्थी अपने हिस्से तक की भूमि के उपयोग उपभोग हेतु स्वंतत्र है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित होता है।
2. **सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षतिः–** चूंकि प्रार्थी 1/4 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार है। अतः सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित होता है।

13 हमने पत्रावली व उपलब्ध तथ्यो पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध धारा 53, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का वाद पेश किया है व साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की चाही गई है कि विपक्षी सं. 1 जबरन प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करती है व बिना विधिक विभाजन के विक्रय करने पर आमादा है। वही विपक्षी सं. 1 ने अपने जवाब में प्रार्थी का कोई हक हिस्सा अथवा कब्जा न होना जाहिर किया। जमाबंदी संवत् 2077–80 मौजा बीडा से स्पष्ट है कि प्रार्थनाग्रस्त आराजी में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा दर्ज है। विपक्षी द्वारा प्रार्थी का कब्जा न होने का कोई दस्तावेज पेश नही किया। केवल कथन मात्र है। अतः प्रार्थी अपने हिस्से तक की भूमि का उपयोग करने में स्वतंत्र है। यदि विपक्षी द्वारा प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी की जाती है तो प्रार्थी को भारी क्षति होगी।

14 प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित हुए है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है।

Akshay

सहायक कलक्टर
झाड़ोल (फ.), जिला उदयपुर

आदेश

अतः उपरोक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि विपक्षीगण आराजी सं. 223, 234, 236 कुल किता 2 कुल रकबा 0.24 हैक्टर में मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के हिस्से तक की भूमि के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करे। न ऐसा स्वयं करे, न अपने मित्र, रिश्तेदार, एजेन्ट इत्यादि से करावे। विपक्षीगण अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले इजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलेक्टर ग्रामीण
जिला उदयपुर

कलक्टर, ग्रामीण, जिला उदयपुर (राज.)